"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 324] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2010—पौष 2, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

अधिसूचना

क्र. 13227/2827/21-ब/छ. ग./2010.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1022/1989, आल इंडिया जजेस एसोसियेशन एवं अन्य विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश दि. 26-07-2009 एवं दिनांक 02-08-2010 के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, "छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा वेतन पुनरीक्षण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नियम, 2003" (अधिसूचना क्रमांक 1969/21-ब/छ. ग./2008 दिनांक 13-03-2009, अधिसूचना क्र. 5653/डी-1264/21-ब/छ. ग./2010 दिनांक 02-06-2010 तथा अधिसूचना क्र. 12082/2827/21-ब/छ. ग./2010 दिनांक 03-11-2010 द्वारा यथासंशोधित) में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 11-क के उपनियम (1) के खण्ड (2) में, अंक "02-09-2008" के स्थान पर, अंक "01-01-2006" प्रतिस्थापित किया जाय.

Raipur, the 23rd December 2010

NOTIFICATION

No. 13227/2827/21-B/C. G./2010.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and in compliance of orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India, in W. P. (Civil) No. 1022/1989 All India Judges Association and others Vs Unin of India and others, dated 26-7-2009 and 2-8-2010, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in "The Chhattisgarh Judicial Service Pay Revision, Pension and Other Retirement Benefits Rules, 2003". (As amended by notification No. 1969/21-B/C.G./2008 dated 13-3-2009, notificatin No. 5653/D-1264/21-B/C.G./2010 dated 2-6-2010 and notification No. 12082/2827/21-B/C. G./2010 dated 3-11-2010), namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

In clause (ii) of sub-rule (1) of Rule 11-A, for the figures "02-09-2008", the figures "01-01-2006" shall be substituted.

This sanction has been accorded by the Finance Department vide U.O.No. 398/31611/Finance Department/B-3/2010 dated 21-12-2010.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.